

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग, पुरौला।

(T.F.H.)

देहरादून दिनांक 07 अक्टूबर, 2021.

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में वन विभाग के अनुदान सं०-27 की राज्य सैक्टर योजना "2406-01-101-17-00-वन मोटर मार्गों तथा अश्व मार्गों का सुदृढीकरण" योजनान्तर्गत शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :- शासनादेश संख्या-1331/X-2-2021-12(71)2016 दिनांक 11 जून, 2021 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
महोदय,

उक्त सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. S21060270013 दिनांक 11.06.2021 से वित्तीय वर्ष 2021-22 में वन विभाग के अनुदान सं०-27 की राज्य सैक्टर योजना 2406-01-101-17-00-वन मोटर मार्गों तथा अश्व मार्गों का सुदृढीकरण" योजनान्तर्गत शासन से अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹8,00,00,000/- (₹आठ करोड़ मात्र) के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹6,28,42,000/- (₹छ: करोड़ अठाईस लाख बयालीस हजार मात्र) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में जारी किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि ₹66,50,000/- (₹ छियासठ लाख पचास हजार मात्र) का IFMS पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी-प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरौला को ऑन लाइन बजट निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ आवंटित करते हुए प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है:-

1- सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- मानक मद-52 लघु निर्माण में आवंटित धनराशि से प्रस्तावित निर्माण कार्यों में से किसी भी कार्य की लागत ₹20.00लाख से अधिक न हो तथा बृहद निर्माण की लागत ₹20.00 लाख से कम करने के लिए उसके टुकड़े न किये जाए। कार्य करने से पूर्व वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन के अनुसार सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3- छोटे कार्यों (पैटी वर्क्स), लघु कार्यों (माइनर वर्क्स) की लागत सीमा में वृद्धि कये जाने के फलस्वरूप मानक मद 52-लघु निर्माण कार्य के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-323//XXVII(7)/19-50(7)/2019 दिनांक 20.09.2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4- धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-423/09(150)-2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 31.03.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

5- अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित भुगतान ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध है, यदि योजना से इतर कार्यों हेतु भुगतान कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

6- कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

7- अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमैट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

9- बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

10- आवंटित/जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.-4 में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।



आवंटन पत्र संख्या -Ni-1288/3-5

आवंटन आई डी-H21100270006

अनुदान संख्या-027

आवंटन पत्र दिनांक-07-OCT-2021

लेखा शीर्षक

2406-वानिकी तथा वन्य जीवन

01-Forestry

101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण

 17-वन मोटर मार्गों, ट्रैक रुटों तथा अश्व
 मार्गों का सुदृढीकरण

00-0


Voted

2	4	0	6	0	1	1	0	1	1	7	0	0
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
51-अनुरक्षण					9350000	6650000	0	16000000				
योग					9350000	6650000	0	16000000				

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.66,50,000 (Rupees Sixty Six Lacs Fifty Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2110:0006

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



 वित्त निर्वहक

वन विभाग

कार्यालय

 प्रमुख वन संरक्षण कार्यालय
 देहरादून